बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, बेली रोड, पटना

निविदा सूचना संख्या- 02/2014-15

1. विभाग का नामः- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार, पटना।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पताः- पुलिस अधीक्षक(वितन्तु), बिहार, पटना। बिहार पुलिस रेडियो,मुख्यालय, बेली रोड,पटना।
3. निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समयः- निविदा प्रकाशित की तिथि से किसी कार्य दिवस से दिनांक- 16.06.2014 के 1500 बजे तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थानः- टी0एक्स0भवन, बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, राजबंशी नगर, पटना-800023 विज्ञापनदाता का कार्यालय।
5. निविदा खोलने की तिथिः- दिनांक- 16.06.2014 को 1600 बजे।
6. अनुमानित राशि :- रू0 पच्चीस लाख से उपर।
7. मद का नामः-

   (क) 13 जिला मुख्यालय में स्थापित 120 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर यथा-(1) भोजपुर (2) अररिया (3) सारण (4) वैशाली (5) किशनगंज (6) कटिहार (7) गया (8) जहानाबाद (9) सहरसा (10) बेतिया (11)दरभंगा (12) मोतीहारी एवं (13) सुपौल जिला मुख्यालय में स्थापित टावर की रंगाई एवं डेंटिंग, खराब ऐंगील/पार्ट की बदली, नट एवं बोल्ट की जाँच कर कसना एवं खराब नट-बोल्ट को बदली करना, Aviation lamp एवं अर्थिग की जाँच करना तथा खराब रहने पर ठीक करने का कार्य।

   (ख) 10 जिला मुख्यालयों में स्थापित 100 फीट टावर यथाः- (1) जहानाबाद (2) गोपालगंज (3) मुजफ्फरपुर (4) सीतामढ़ी (5)मधुबनी (6) मधेपुरा (7) सासाराम (8) नवादा जिला मुख्यालयों एवं (9) बाढ़ तथा (10) फतुहा थाना में स्थापित टावर की रंगाई एवं डेंटिंग तथा खराब ऐंगील/पार्ट की बदली, नट एवं बोल्ट की जाँच कर कसना एवं खराब नट-बोल्ट को बदली करना, Aviation lamp एवं अर्थिग की जाँच करना तथा खराब रहने पर ठीक करने का कार्य।

   (ग) बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय टी0एक्स0भवन, राजबंशी नगर, बेली रोड, पटना में स्थापित 04(चार) अदद 80 फीट टावर की रंगाई एवं डेंटिंग तथा खराब ऐंगील/पार्ट की बदली, नट एवं बोल्ट की जाँच कर कसना एवं खराब नट-बोल्ट को बदली करना, Aviation lamp एवं अर्थिग की जाँच करना तथा खराब रहने पर ठीक करने का कार्य।

निविदा के नियम एवं शर्त

(1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार में स्थित फर्म/इकाइयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत फर्म/ इकाईयों या उनके स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेंट/प्राधिकृत डीलर/ आपूर्तिकर्ता जिन्हें टावर के फैवरीकेशन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा लाइसेंस/अधिकार प्राप्त है के द्वारा ही दी जायेगी। लेकिन सफल निविदताओं को कार्यादेश देने के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा।

2. निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131ञ के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा।

(क) तकनीकी बोली जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।

(ख) वित्तिय बोली जिसमें तकनीकी बोली में शामिल की गई ईकाइयों का इकाईवार मूल्य दर्शाया जायेगा।

3. निविदा के तकनीकी बोली में बिहार बिक्री कर, निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन की छाया प्रति, चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्ता के फर्म का वार्षिक ऑडिट टर्न ओभर की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित मदों की तकनीकी विवरणी, वाणिज्यिक शर्तो एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। दरों की वैद्यता 31 मार्च 2015 तक होगी। अतएव फर्म प्रस्तवित दरों की वैद्यता का भी स्पष्ट उल्लेख करेंगें। मद के लिए दी जानेवाली गारण्टी अवधि का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए।

4. वित्तीय बोली में तकनीकी बोली में शामिल की गई मद का इकाईवार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित होगा। (क) प्रस्तावित कार्य का मूल्य प्रति इकाई (ख) देय कर (ग) दर एवं वैट सहित नेट मूल्य अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा।

5. तकनीकी बोली एवं वितीय बोली अलग-अलग लिफाफों में सील बंद होनी चाहिए एवं उन पर तकनीकी बोली एवं वितीय बोली अंकित होनी चाहिए। दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डाल कर एवं सील बंदकर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या अंकित रहेगी। इसपर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेंगे। सीलबंद लिफाफा को उपर्युक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. दरों में किसी प्रकार का कटिंग/ओभर राईटिंग अथवा संशोधन पाये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी वांछित सूचना एवं अभिलेखों को शर्तो के अनुसार वितीय बोली एवं तकनीकी बोली में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रदद कर दिये जायेंगे। तकनीकी बोली में वैद्य पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वितीय बोली खोली जायेगी और इस संबंध में विज्ञापनदाता का निर्णय ही सभी फर्मो के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नही होगा।

7. निविदाकर्ताओं को उपरोक्त कार्य स्वयं करने होगे इसके लिए अलग से कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामानों को चढ़ाने उतारने या साईट पर ले जाने वाले खर्च का वहन भी निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा। निविदाकर्ता चाहें तो टावरों को उनके स्थापित रहने के स्थान पर जाकर निरीक्षण निविदा समर्पित करने के पूर्व कर सकते हैं।

8. विपत्रों की भुगतान की कारवाई मद निरीक्षण समिति द्वारा स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी ।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दें।

उपर्युक्त वियमों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदादाताओं का निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा।

30/05/14

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना